न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी	-	**श्री शारिक हुसैन, आर०जे०एस०**
फौ०नि०प्रकरण संख्या	-	**209/2019,**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	-	**54/2019,**
पुलिस थाना	-	**कामखेडा**
सी.एन.आर. नम्बर	-	RJJW180001442019

सरकार

अभियोगी...

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र कजोडीलाल उम्र 56 वर्ष,
2. सुखराम पुत्र छीतरलाल उम्र 32 वर्ष,
3. हरीशचंद्र पुत्र छीतरलाल उम्र 35 वर्ष,
   निवासीगण नान्देडा पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड़ (राज०)

अभियुक्तगण...

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1- अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री गजेन्द्र गौत्तम, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय दिनांक- 07.03.2026

घटना की दिनांक	20.03.2019
प्रथम सूचना की दिनांक	20.03.2019
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	24.04.2019
आरोप विरचन की दिनांक	23.04.2019
साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक	23.04.2019
निर्णय की दिनांक	07.03.2026
दण्डादेश	दोषसिद्ध

01. थानाधिकारी पुलिस थाना कामखेडा की ओर से जर्ये अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 का अपराध कारित किए जाने का

अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण छीतरलाल, सुखराम व हरीशचन्द्र के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24.04.2019 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.03.2019 को परिवादी कैलाशचंद ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 20.03.2019 को 11.30 बजे के लगभग की घटना है। उसके खेत पर मांगीबाई, भूराबाई, गायत्री बाई, आशाबाई, धुलीबाई व उनके साथ कैलाशचन्द व नवलकिशोर सभी गेहूं की फसल काट रहे थे। वहां पर उसके गांव के छीतरलाल, सुखराम, हरीशचन्द्र तीनों हाथ में लट्ठ लेकर आये एवं तीनों ने आते ही कहा कि कल उसने उनकी भैंसे क्यों भगाई, भैंसे तो यही चरेंगी और तीनों ने गालियां देते हुए उनके पास के लट्ठों से मारपीट की। सुखराम ने लट्ठ की भूरीबाई के दाहिने हाथ में मारी, हरीशचन्द्र ने नवलकिशोर पर बांये हाथ में लट्ठ की मारी। वह जाने लगे तो तीनों ने उन्हे रोककर उसके सुखराम ने लट्ठ की दाहिने हाथ पर व मांगीबाई के बांये पैर में व हरीशचन्द्र ने भी उनके साथ मारपीट की, इत्यादि।

03. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कामखेडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54/2019, अन्तर्गत धारा 341, 323, 504/34 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण छीतरलाल, सुखराम एवं हरीशचन्द्र के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504/34 भा.दं.सं. में पेश न्यायालय किया गया। जिसपर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी तथा अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	**साक्ष्य की प्रकृति**
01. कैलाशचंद	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना
02. डॉ. द्वारकालाल	चिकित्सकीय साक्षी
03. मनोज कुमार	चश्मदीद साक्षी
04. रमेशचंद	अनुसंधान अधिकारी

05. नवलकिशोर	आहत
06. कोमल कुमार	चश्मदीद साक्षी
07. पवन कुमार	चश्मदीद साक्षी
08. मांगीबाई	आहत
09. भूराबाई	आहत
10. गायत्री बाई	चश्मदीद साक्षी
11. आशाबाई	अनुसंधान साक्षी
12. धुलीबाई	अनुसंधान साक्षी
13. राजेश कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजात का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी01	तहरीरी रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 1,4,13
प्रदर्श पी02	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 1,4,13
प्रदर्श पी03	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 1,3,4
प्रदर्श पी04	चोट प्रतिवेदन कैलाश	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी05	चोट प्रतिवेदन मांगीबाई	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी06	चोट प्रतिवेदन नवलकिशोर	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी07	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी08	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी09	एक्सरे कवर नोट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी10	चोट प्रतिवेदन भूरा बाई	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी11	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी12	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी13	एक्सरे कवर नोट	साक्षी क्रमांक 2
प्रदर्श पी14	पुलिस बयान गवाह आशाबाई	साक्षी क्रमांक 11
प्रदर्श पी15	पुलिस बयान गवाह धुलीबाई	साक्षी क्रमांक 12

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। किसी भी गवाह के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

"1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 20.03.2019 को दोपहर 11.30 बजे के लगभग, मौजा/स्थान नान्देडा पुलिस थाना कामखेडा में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी कैलाशचन्द व उसके परिजनों को स्वेच्छया जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया व परिवादी/मजरूबान कैलाशचन्द, मांगीबाई, नवलकिशोर व भूराबाई के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उन्हे स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहतियां कारित की एवं मजरूबान नवलकिशोर व भूराबाई के स्वेच्छापूर्वक गंभीर उपहति कारित की तथा लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौच कर परिवादीगण साशय अपमान कारित किया?

2. यदि हां, तो अभियुक्तगण को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?"

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं

प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 13 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है। जिनमे से गवाह संख्या पी.ड.01 कैलाशचन्द प्रकरण/आहत का परिवादी है तथा गवाहन पी.ड.05 नवलकिशोर, पी.ड.08 मांगीबाई व पी.ड.09 भूराबाई प्रकरण के मजरूबान हैं।

12. गवाह पी.ड.01 कैलाशचन्द ने उसके न्यायालय में लेखबद्ध किये गये बयानों में बताया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 3-4 साल पहले दिन के 12 बजे की लगभग की बात है। वह उसके कुंए पर था। वह, उसकी मां धुलीबाई, बहन भूराबाई, पत्नी मांगीबाई, भाभी गायत्रीबाई खेत पर गेहूं काट रहे थे। छीतरलाल, हरीचंद, सुखराम और उन तीनों की पत्नियां जिनके नाम उसे याद नहीं है। हाथों में लाठी, तलवार, कुल्हाड़ी, दांतली लेकर आए और आते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसका भाई नवल बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। बहन भूराबाई, पत्नी मांगीबाई के साथ मारपीट की जिससे सभी के शरीर पर चोट आई। उसके हाथ, पैर, सिर पर चोटें आई। मुल्जिमान उनकी भैंसे लेकर जा रहे थे, जिससे उसके घर के बच्चे उनकी भैंसों के नीचे आ गए जिससे उसने उनसे कहा था कि थोड़ा सावधानी से भैंसों को चराया करो इसी बात पर उसके साथ मारपीट की थी। घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति बचाने के लिए नहीं आया। बाद में कोमल और घनश्याम भी मौके पर आ गए थे। उसने इस घटना की थाने पर रिपोर्ट की जो प्रदर्श पी 01 है। चाक एफआइआर प्रदर्श पी 02 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ जो पत्रावली में सलग्न है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुल्जिम सुखराम की भैंस ने उसके बच्चे को गिरा दिया था तथा उसने मुल्जिम सुखराम को बच्चे गिराने का ओलमा दिया तो मुल्जिम ने उसे गाली दी और उसने भी उसे गाली दी। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके और सुखराम के बीच में कहासुनी हुई थी। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि सुखलाल की भैंस ने उसके बच्चे को गिरा दिया था, जिस कारण उसने मुल्जिम सुखलाल के साथ मारपीट की हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि मारपीट में वह नीचे गिर गया था। गवाह ने स्वीकार किया है कि मुल्जिम ने उसके कंधे पर मारी तो वह दूसरे हाथ के बल नीचे गिर गया था। गवाह ने इस तथ्य का भी गलत होना बताया है कि उसके नीचे गिरने से चोट आई हो।

13. प्रकरण के अन्य आहत/गवाह पी.ड.05 नवलकिशोर ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2019 में दिनांक 20.03.2019 को सुबह 10-11 बजे की बात है। उसका भाई कैलाशचंद खेत पर काम कर रहा

था। उसके भाई कैलाश और सुखराम की आपस में कहासुनी हो गई थी। सुखराम ने उसके घर जाकर बताया तो उसके परिवार वाले छीतरलाल, हरीशचंद और सुखराम तीनों उसके खेत पर लकडी लेकर आ गये। खेत पर उसका भाई कैलाश, भाभी मांगीबाई, बहन भूरीबाई थे। आते ही मुलजिमान ने लकडियों से मारपीट शुरू कर दी। वह पास वाले खेत पर क्रेशर मशीन चला रहा था। उसे मालूम चलने पर वह दौडकर गया और बीच बचाव किया। उसके बीच बचाव के दौरान हाथ पर लगी थी। हरीशचंद के हाथ में कुल्हाडी या लट्ठ था, जिससे उसके बांये हाथ पर लगने से हाथ टूट गया था। मारपीट से उसके परिवार के अन्य लोगों के भी चोटें आई थी। मारपीट कर मुलजिमान भाग गये। वे घटना की रिपोर्ट कराने थाने पर गये थे। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि पवन लडाई के बाद आया हो। अजखुद कहा कि उसके साथ गया था। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि जब वह पहुंचा तब लट्ठ चल रहे थे। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया कि मौके पर केवल सुखराम ही हो और छीतर व हरीश बाद में आये हो।

14. गवाह पी.ड.08 मांगीबाई जो कि प्रकरण के अन्य आहता है, ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 5-6 साल पहले सुबह के समय की बात हैं। वह व उसके परिवार के आशा, भुराबाई, गायत्रीबाई, धुलीबाई गेहूं काट रहे थे तथा उसका पति कैलाश व देवर नवलकिशोर मशीन चला रहे थे। मशीन पर दो लडके श्री काम कर रहे थे जिनके नाम उसे याद नहीं हैं। तभी वहां पर हरीशचन्द्र सुखराम, छीतरलाल व उनके परिवार वाले लकडी, गण्डासी लेकर आयें व गालिया निकालने लगे और उनके साथ लकडियों से मारपीट की, जिससे ननद भुराबाई के हाथ पर लगी। सुखराम ने उसके दहिने हाथ पर मारी, जिससे उसका हाथ टूट गया। एक चोट उसके पैर पर भी लगी। उसके पति व देवर बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी मारपीट की। मशीन पर काम करने वाले लडकों ने भी बीच-बचाव किया। सभी लोग उनके साथ मारपीट करके भाग गये। वह लोग घटना की रिपोर्ट कराने कामखेडा थाने पर गये थे जहां उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था। मुलजिमान के जानवरों ने उनके छोटे बच्चों को गुन्ध दिया था. जिसकी शिकायत उसके पति ने की थी इसलिए उन्होंने मारपीट की थी। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि भैंस बच्चे पर चढ़ जाने की बात को लेकर वह सभी परिवार वाले सुखराम के घर लड़ने गये हो। गवाह ने इस बात का भी गलत होना बताया कि उसके

पत्थर लगने से चोटे आयी हो तथा वह भागकर जाने लगी तब गिर जाने से चोटे आयी हो।

15. गवाह पी.ड.09 भूराबाई ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 5-6 साल पहले दिन में 11-12 बजे के लगभग की बात हैं। वह उसके भाई कैलाश के खेत में गेहूँ काट रहे थे। उसके साथ धुलीबाई, गायत्रीबाई, हंसाबाई, मांगीबाई, कैलाश आदि थे। उसका छोटा भाई नवल व थ्रेसर मशीन वाले लडके वही पर थे। तभी वहां पर छीतरलाल, हरीशचन्द, सुखराम, फोरिया सभी हाथों में लकडियों लेकर आये। आते ही भैंसों के मामलों को लेकर गाली-गलौच करने लगे। ये लोग उसके भाई कैलाश के साथ मारपीट करने लगे। वह बीच-बचाव करने के लिए भागे, तो उसके भी मुलजिमान ने लटठ की मारी, जो दाये हाथ की कोहनी पर लगी, जिससे उसका हाथ टुट गया, जिसमें रॉड डली थी। मारपीट में अन्य लोगों के भी चोटे आयी थी। मारपीट करके मुलजिमान घटनास्थल से भाग गये। उसकी चोटों का मेडिकल व एक्स-रे हुआ था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि भैंसे घुसने की बात को लेकर उन्होने मुलजिमान के साथ गाली-गलौच की हो, अजखुद कहा कि उसका भाई कैलाश व छीतरलाल के बीच खेत में भैंसे घुसने की बात को लेकर कहासुनी हो रही थी। गवाह ने इस सुझाव को भी गलत बताया कि वह लडाई खत्म होने के बाद में घटनास्थल पर पहुंची हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके बीच-बचाव कराने से चोटे आयी थी।

16. गवाह पी.ड.03 मनोज कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 3- 4 साल पहले शाम के 3-4 बजे की बात है। वह उसके खेत पर था। उसने चिल्लाने की आवाज आने पर वह कैलाश के खेत पर गया। कैलाश, मांगीबाई, नवल व भूराबाई के शरीर पर चोटें आई थी। छीतर, सुखराम व हरीशचंद के हाथों में लट्ठ थे और तीनों वहां खडे थे। फिर वह व गांव वाले कैलाश वगैरा को अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी03 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी03 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

17. गवाह पी.ड.06 कोमल कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नवल व कैलाश दोनों उसके मामा लगते हैं। गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 5-6 वर्ष पहले दिन के समय की बात है। वह जब खेत पर पहुंचा तो छीतर, हरीशचंद व एक अन्य व्यक्ति मिलकर भूराबाई के साथ गाली गलौच कर मारपीट कर रहे थे। फिर वह व पवन

बीच बचाव करने गये थे। भूराबाई व मांगीबाई के हाथों में लगी थी। दौराने जिरह उक्त गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसके पहुंचने से पहले ही मारपीट हो गई हो। गवाह ने स्वीकार किया है कि छीतरलाल वगैरा पहले औरतों को गालियां दे रहे थे, फिर अचानक मारपीट करने लगे। वह भी बीच बचाव करने गया था।

18. गवाह पी.ड.07 पवन कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि कोमल उसका दोस्त है। नवल व कैलाश दोनों कोमल के मामा हैं। वर्ष 2019 में दिन के 11-12 बजे की बात है। वह, नवल व कोमल मशीन पर काम कर रहे थे। नवल के परिवार के कैलाश व महिलाएं पास में दूसरे खेत पर काम कर रही थी। तभी छीतरलाल व उसके साथ 1-2 आदमी और 1-2 औरतें कैलाश के साथ गाली गलौच करते हुए आये। इन लोगों के हाथ में लट्ठ थे। मारपीट करने लगे तो उन्होने बीच बचाव किया था। नवल, किशोर व महिलाओं के चोटें आई थी। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उनके पहुचने से पहले दोनों तरफ से केवल गाली गलौच हो रही थी। उक्त गवाह ने इस तथ्य को गलत बताया कि उनके पहुंचने के बाद लडाई बढ गई हो। अजखुद कहा कि मुलजिमान के हाथ में लट्ठ थे और उनके पहुंचने से पहले ही मारपीट चालू हो गई थी।

19. गवाह पी.ड.10 गायत्री बाई ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 5-6 साल पहले दिन में 12-1 बजे के लगभग की बात हैं। वह उसके खेत में गेहूं काट रही थी। उसके साथ भुराबाई, धुलीबाई आशाबाई, मांगीबाई, कैलाश आदि थे। उसका पति नवल व थ्रेसर मशीन वाले लडके पवन, कोमल भी वही पर थे। तभी वहां पर छीतरलाल, हरीशचन्द, सुखराम सभी हाथों में लकडियाँ लेकर आये। आते ही भैंसों के मामलों को लेकर गाली-गलौच करने लगे। ये लोग उसके जेठ कैलाश के साथ मारपीट करने लगे। फिर वह सभी बीच-बचाव करने के लिए भागे, तो भुराबाई के बीच-बचाव में लटठ की लगी, जो दाये हाथ की कोहनी पर लगी, जिससे उसका हाथ टुट गया। बीच-बचाव में उसके पति के व अन्य लोगों के भी चोटे आयी थी। मारपीट करके मुलजिमान घटनास्थल से भाग गये। दौराने जिरह उक्त गवाह का कथन रहा है कि लडाई झगडे के वक्त वह मौके पर ही थी। गवाह ने स्वीकार किया है कि उनके पति नवल के बीच बचाव में लगी थी।

20. गवाह पी.ड.13 राजेश कुमार ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 20.03.2019 को पुलिस थाना कामखेडा में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान रमेशचंद एएसआई के जिम्मे किया था। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी०

01 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 02 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण छीतरलाल, सुखराम व हरिशचंद के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।

21. गवाह पी.ड.02 डॉ. द्वारकालाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 20.03.2019 को सीएचसी अकलेरा पर एमओ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना कामखेडा के प्रतिवेदन पर उसने कैलाश के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। चोट 1 सूजन दांये हाथ की कलाई पर, 2. खरोंच दाहिनी भुजा पर। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी04 है। उसी दिन उसने मांगीबाई के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। चोट 1 सूजन बांये पैर पर। 2. सूजन बांये टकने पर। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी05 है। उसी दिन उसने नवलकिशोर के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। चोट 1 कुचला हुआ घाव बांये हाथ की मध्य अंगुली पर। चोट 2. खरोंच बांये हाथ की कलाई पर। दोनों चोटें कुंद हथियार से कारित थी। बाद एक्सरे चोट 1 गंभीर प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी06 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी07 व पी08 है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी09 है। उसी दिन उसने भूराबाई के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया था। चोट 1 कुचला हुआ घाव दाहिनी कोहनी पर। चोट 2. सूजन दाहिने हाथ के पंजे पर। दोनों चोटों के लिए एक्सरे की राय दी थी। बाद एक्सरे चोट 1 गंभीर व चोट 2. साधारण प्रकृति की पाई गई। चोटों की अवधि 12 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी10 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी11 व पी12 है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी13 है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उक्त सभी चोटें मोटरसाईकिल से गिर जाने से आने की संभावना है।

22. गवाह पी.ड.04 रमेशचन्द ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 20.03.2019 को थाना कामखेडा पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान उसने किया था। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी० 01 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 02 है। दौराने अनुसंधान बयान गवाहान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शामौका जो प्रदर्श पी० 03 है। आहातगण कैलाश, मांगीबाई, नवलकिशोर, भुराबाई के चोट प्रतिवेदन एक्स-रे शामिल पत्रावली किये। आहाता भुरीबाई की चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की पाये जाने से धारा 325 आईपीसी जोडी गई। सम्पुर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण छीतरलाल, सुखराम व हरीशचन्द के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 504, 34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये

जाने से पत्रावली एसएचओ राजेश मीणा को पेश की जिन्होनें आरोप-पत्र पेश न्यायालय किया।

23. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रदर्शित करवाये गये समस्त चश्मदीद गवाहन व आहत ने उनके बयानों में अभियोजन कहानी की पुष्टि की है तथा जिरह में सुदृढ़ रहे हैं। जिससे उनकी विश्वसनीयता पर न्यायालय को कोई संदेह नहीं है। गवाह/परिवादी पी.ड.01 कैलाशचंद तथा अन्य आहतगण/गवाहन पी.ड.05 नवलकिशोर, पी.ड.08 मांगीबाई, पी.ड.09 भूराबाई ने उनके बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ लकडी व अन्य हथियारों से मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन किये हैं तथा आहतगण नवलकिशोर व भूराबाई के शरीर पर अस्थिभंग कारित करने के संबंध में भी स्पष्ट रूप से कथन किये हैं। प्रकरण के अन्य गवाहन पी.ड.06 कोमल कुमार, पी.ड.07 पवन कुमार व पी.ड.10 गायत्री बाई ने भी उनके बयानों में आहतगण के साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। मारपीट से परिवादी/आहतगण के शरीर पर आई चोटों की पुष्टि गवाह पी.ड.02 डॉक्टर द्वारकालाल के बयानों तथा उनके द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजात से भी होती है। पत्रावली पर दोनों पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश होने से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

24. अतः अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 20.03.2019 को दोपहर 11.30 बजे के लगभग, मौजा/स्थान नान्देडा पुलिस थाना कामखेडा में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी कैलाशचन्द व उसके परिजनों को स्वेच्छया जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया व परिवादी/मजरूबान कैलाशचन्द, मांगीबाई, नवलकिशोर व भूराबाई के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उन्हे स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहतियां कारित की एवं मजरूबान नवलकिशोर व भूराबाई के स्वेच्छापूर्वक गंभीर उपहति कारित की तथा लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौच कर परिवादीगण साशय अपमान कारित किया। अतः अभियुक्तगण छीतरलाल, सुखराम, एवं हरीशचन्द्र को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भां०दं०स० में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

25. अतः अभियुक्तगण 1. छीतरलाल पुत्र कजोडीलाल उम्र 56 वर्ष, 2. सुखराम पुत्र छीतरलाल उम्र 32 वर्ष एवं 3. हरीशचंद्र पुत्र छीतरलाल उम्र 35 वर्ष निवासीगण नान्देडा पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड़ (राज०)

को आरोपित अपराध धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज.)

26. सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के गरीब व्यक्ति हैं। अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण ने इस आशय का शपथ पत्र पेश किया कि पूर्व में उन्हे माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभियुक्तगण लम्बे समय से प्रकरण की अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाए। सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध किया।

27. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। पूर्व की दोषसिद्ध साबित नहीं है और उक्त आशय का शपथ पत्र भी पेश है। अभियुक्तगण वर्ष 2019 से प्रकरण अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। हस्तगत प्रकरण मृत्यु या आजीवन कारावास से भी दण्डनीय नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-दण्डादेश-

28. अतः अभियुक्तगण 1. छीतरलाल पुत्र कजोडीलाल उम्र 56 वर्ष, 2. सुखराम पुत्र छीतरलाल उम्र 32 वर्ष एवं 3. हरीशचंद्र पुत्र छीतरलाल उम्र 35 वर्ष निवासीगण नान्देडा पुलिस थाना कामखेडा जिला झालावाड़ (राज०) को धारा 341, 323, 325, 504 सपठित धारा 34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4(1) के तहत आदेशित किया जाता है कि वह अधोलिखित शर्तों के अधीन 10,000-10,000/-रूपये का बंध पत्र एवं इसी कदर राशि का जमानतनामा न्यायालय की संतुष्टिनुसार प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हे सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया जावेः-

1 अभियुक्तगण एक वर्ष की अवधि तक शांति एवं सदाचरण बनाये रखेगें तथा उक्त अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगे।

2. न्यायालय द्वारा जब भी तलब करने पर न्यायालय में उपस्थित आयेंगे तथा आदेशित दण्डादेश प्राप्त करेगे।

29. साथ ही परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5(1)(बी) के तहत प्रत्येक अभियुक्तगण पर 500-500/-रूपये कुल 1500/-रूपये (अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये) अभियोजन व्यय के आरोपित किये जाते है, जो राशि न्यायालय में जमा कराई जावे। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों की पालना में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अभियुक्तगण द्वारा 10,000-10,000/-रूपये की राशि की जमानत एवं इसी कदर राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे जो छः माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

30. निर्णय आज दिनांक 07.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MOHAN SONI

Steno Gr. II
"Authenticate document"
Digitally signed by MOHAN SONI
Date: 2026.03.09 15:10:36 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।